(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2619–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–3–13 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, देवास प्रकरण कमांक 05/अ–12/2012–13.

1– अकबर खां पिता मोती खां
2– कमाल खां पिता अकबर खां
3– साबिर खां पिता अकबर खां
4– शाकीर खां पिता अकबर खां
निवासीगण ग्राम पंथमुण्डला
तहसील व जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

याकूब पिता अब्बास
निवासी ग्राम पंथमुण्डला
तहसील व जिला देवास .....अनावेदक

श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक, तहसील व जिला देवास के समक्ष ग्राम पंथमुण्डला तहसील व जिला देवास स्थित सर्वे कमांक 349 रकबा 0.97 एवं सर्वे कमांक 358 रकबा 0.63 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत 1 देवास द्वारा दिनांक 24–3–13 को सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार, देवास द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–12/2012–13 दर्ज कर दिनांक 6–5–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण दाखिल

रिकार्ड किया गया । राजस्व निरीक्षक के उपरोक्त सीमांकन आदेश दिनांक 24–3–13 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसमें कमांक का उल्लेख नहीं है, और सूचना पत्र की तामीली किसको कराई गई, इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है । सूचना पत्र पर अनावेदकगण के जो हस्ताक्षर हैं, वह कूटरचित बनाये गये हैं, क्योंकि उनके द्वारा सूचना पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं,

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 29–30 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की विधिवत तामीली कराये बिना, उनके कूटरचित हस्ताक्षर बनाये जाकर सीमांकन किया गया है, जो अवैधानिक है ।

(3) सूचना पत्र पर पड़ोसी कृषक हाजी इशाक के हस्ताक्षर फर्जी हैं, क्योंकि उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11–6–2013 को प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि वह 67 वर्षीय होकर अक्षरज्ञान नहीं है एवं सभी जगह अंगूठा लगाता हूँ । अतः स्पष्ट है कि हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये हैं

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदकगण की अनुपस्थिति में पंचनामा बनाया गया है, क्योंकि सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदकगण को कोई सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी अथवा सरपंच को भी कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा सूचना पत्र दिनांक 20–3–2013 को वैध मान्यकर जो आदेश दिनांक 6–5–2013 पारित किया गया है, वह निरस्ती योग्य है ।

उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। ।

तर्कों के समर्थन में 2015 आर.एन. 497, 2015 आर.एन. 14, 2015 आर.एन. 703, 2006 2015 आर.एन. 218 (उच्च न्यायालय)

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रतिवेदन में पृथक से लाईन जोड़ी गई है, अतः स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही

एवं प्रतिवेदन संदिग्ध प्रतीत होती है । इसी आशय की आपत्ति आवेदकगण द्वारा सीमांकन में की गई थी, परनतु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है, अतः तहसील न्यायालय का सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–3–13 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर